

स.क.	टैरिफ श्रेणी	सुरक्षा निधि / अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि
01	एच.व्ही.	रूपये 5000 / - प्रति केव्हीए
02	एल.व्ही. घरेलू	रूपये 1000 / - प्रति किलोवाट
03	एल.व्ही. गैर घरेलू	रूपये 2000 / - प्रति किलोवाट
04	एल.व्ही. औद्योगिक	रूपये 2000 / - प्रति एच.पी.
05	एल.व्ही अन्य (कृषि एलाईड वाटर वर्क्स, स्ट्रीट लाईट)	रूपये 1700 / - प्रति एच.पी.
06	एल.व्ही. कृषि उपभोक्ता	रूपये 300 / - प्रति एच.पी.
07	सूचना तकनीकी	रूपये 3000 / - प्रति किलोवाट